संख्या-84/2021/ई-1654115/71-3-2021-जी-75/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 25 जून, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में जी+3 भवन के निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2020-21/152, दिनांक 02.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में जी+3 भवन के निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु 05 प्रतिशत की धनराशि को रोकते हुए रू0 अवशेष धनराशि रू0 88.77 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में जी+3 भवन के निर्माण कार्य तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु शासनादेश संख्या-33/2018/2867/71-1-2017-जी-75/2014, दिनांक 08-03-2018 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1157.39 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 1010.75 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 02.06.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में जी+3 भवन का निर्माण कार्य तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु 05 प्रतिशत की धनराशि को रोकते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में अवशेष धनराशि **88.77 लाख (रू0 अट्ठासी लाख सतहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
6. परियोजना का थर्ड पार्टी आडिट कराकर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि निर्गत की जायेगी।
7. शासनादेश संख्या-33/2018/2867/71-1-2017-जी-75/2014, दिनांक 08-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीटयूट-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-84/2021/ ई-1654115(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8. नियोजन-अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।